



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234690
CG-DL-E-30032022-234690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

सं. 20/2022—सीमाशुल्क (गै. टे.)

सा. का. नि. 232(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उप-धारा (1), (2), और (3) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क (इलेक्ट्रॉनिक लेखा-बही) विनियम, 2022 कहा जायेगा।
(2) ये विनियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।
- परिभाषाएँ - : (1) इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-
(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

- (ख) “प्राधिकृत बैंक” से अभिप्राय ऐसे बैंक या बैंक की शाखा से है जिसे भारत सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत शुल्क या देय अन्य किसी राशि को वसूलने के लिए प्राधिकृत किया हो;
- (ग) “इलेक्ट्रॉनिक लेखाबही” से अभिप्राय कस्टम्स आटोमेटेड सेस्टम में ऐसी लेखाबही से है जो ऐसे व्यक्ति से संबन्धित हो जो उक्त अधिनियम की धारा 51क के अनुसार उक्त बही में जमा करता है;
- (घ) “फॉर्म” से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म से है;
- (ङ.) “अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त, सीमाशुल्क” से अभिप्राय ऐसे आयुक्त से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सीमाशुल्क स्टेशन आता है जहाँ ऐसा व्यक्ति भुगतान करना चाहता है।

2. ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियों जिनका प्रयोग इन विनियमों में तो हुआ है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उनको उक्त अधिनियम में परिभाषित किया गया है तो उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

3. **इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही को व्यवस्थित करने का तरीका -** : ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के ड्यूटी, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य कोई राशि जिसका भुगतान ऐसे व्यक्ति के द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत या सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 (1975 का 51) या इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों या विनियमों के अन्तर्गत किया जाना हो या ऐसा कोई सीमाशुल्क जिसमें ऐसे उपकर तथा अधिभार भी आते हैं जो कि समय-समय पर लागू अन्य कानून के अन्तर्गत सीमाशुल्क पर लगाए जाते हैं, से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही को **FORM ECL-1** में सामान्य पोर्टल पर रखा जाएगा जिससे कि इसमें धनराशि को जमा किया जा सके और जब भी ड्यूटी, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य राशि का भुगतान करना हो तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही में जमा राशि का उपयोग किया जा सके।

(2) इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही में जमा राशि पर कोई भी ब्याज उद्भूत नहीं होता।

(3) जब भी इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही में कोई जमा या निकासी की जाएगी तो सामान्य पोर्टल पर उसकी एक अद्वितीय पहचान संख्या निर्मित हो जाएगी।

(4) ऐसे निकासी या जमा से संबन्धित अद्वितीय पहचान संख्या को संगत सीमाशुल्क घोषणा में दर्शाया जाना होगा।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखाबही में कोई भी जमा सामान्य पोर्टल पर **FORM-ECL-2** में जमा चालान को निर्मित करके किया जाएगा।

बशर्ते कि **FORM-ECL-2** में इस प्रकार निर्मित डिपॉजिट चालान केवल 15 दिन के लिए ही वैध होगा।

(6) उप-विनियम (5) के अन्तर्गत कोई भी जमा निम्नलिखित प्राधिकृत तरीकों में से किसी भी एक तरीके से किया जा सकेगा, यथा - :

क. प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग

ख. किसी भी बैंक के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रीयल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट

ग. किसी भी प्राधिकृत बैंक में काउंटर पर भुगतान करके

बशर्ते कि किसी एक व्यक्ति के मामले में काउंटर पर भुगतान एक दिन में 10,000 रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा:

बशर्ते और भी कि ऐसे काउंटर पर भुगतान के बारे में एक दिन में जो 10,000 रुपए की सीमा रखी गई है वह तब लागू नहीं होगी जब ऐसा भुगतान किसी सरकारी विभाग के द्वारा किया जा रहा हो या जब इससे अधिक की राशि जमा करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त, सीमाशुल्क ने प्राधिकृत कर रखा हो।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे डिपॉजिट चालान में प्रदर्शित किसी राशि को जमा करने के बारे में कमीशन, यदि कोई हो जो ऐसे भुगतान के संबंध में बैंक में जमा किया जा सकता हो, का वहन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो कि जमा कर रहा हो।

(7) यदि इस प्रकार का जमा प्राधिकृत बैंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से भिन्न अन्य किसी प्राधिकृत तरीके से किया जा रहा हो तो सामान्य पोर्टल पर डिपॉजिट चालान के साथ-साथ मेंडेट फॉर्म को भी निर्मित करना होगा और उसे उस बैंक में जमा करना होगा जहाँ इस प्रकार का जमा हो रहा हो:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्मित मेंडेट फॉर्म डिपॉजिट चालान के निर्मित किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि तक ही वैध रहेगा।

(8) जमा किए जाने के लिए प्राधिकृत तरीके का प्रयोग करके प्राधिकृत बैंक में व्यवस्थित संबंधित सरकारी खाते में यदि ऐसी राशि को सफलतापूर्वक जमा कर दिया जाता है तो जमा करने वाले बैंक के द्वारा एक चालान पहचान संख्या निर्मित की जाएगी और उसको इस प्रकार निर्मित **FORM-ECL-2** में, डिपॉजिट चालान में दर्शाया जाना होगा।

(9) संग्रहकर्ता बैंक से चालान पहचान संख्या प्राप्त होने पर, उक्त राशि उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाएगी, जिसकी ओर से जमा किया गया है और सामान्य पोर्टल इस आशय की एक रसीद उपलब्ध कराएगा।

(10) जहां संबंधित व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से डेबिट किया जाता है, लेकिन कोई चालान पहचान संख्या जनरेट नहीं होती है या ऐसी संख्या जनरेट होती है लेकिन सामान्य पोर्टल को सूचित नहीं की जाती है, तो बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के सामान्य पोर्टल के माध्यम से जिसके माध्यम से जमा शुरू किया गया था उक्त व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान करने का तरीका - (1) कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग शुल्क, ब्याज, जुर्माना, शुल्क, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या उसके तहत नियमों और विनियमों, या सीमाशुल्क के किसी भी कर्तव्य, जिसमें उपकर और अधिभार शामिल हैं, जो किसी अन्य कानून के तहत सीमाशुल्क के कर्तव्यों के रूप में लागू होते हैं, **फॉर्म ईसीएल -3** में भुगतान चालान के माध्यम से जो निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से जनरेट हो सकता है ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए कर सकता है:-

- (i) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों / शर्तों / प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क स्वतः प्रणाली द्वारा।
- (ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा शुल्क की राशि या उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज के स्वयं किए जाने वाले विनिश्चय के आधार पर।

(2) व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान चालान में दिखाई गई राशि को डेबिट करने के लिए सामान्य पोर्टल पर उप-विनियम (1) के तहत जनरेट भुगतान चालान का चयन करेगा:

बशर्ते, भुगतान चालान में दिखाई गई राशि सीमाशुल्क स्वतः प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से स्वतः रूप से डेबिट हो जाएगी, -

- (क) उस मामले में जहां व्यक्ति द्वारा सीमाशुल्क घोषणा में विनिर्दिष्ट राशि के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति प्रदान की गई है; तथा
- (ख) भुगतान चालान की पूरी राशि भरने के लिए उपलब्ध राशि इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता में पर्याप्त है।

(3) उप-विनियम (2) के तहत सफल डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर दिखाई देगा और **फॉर्म ईसीएल -4** में बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी पेमेंट लेजर (नकद) में क्रेडिट दिखाई देगा।

5. रिफंड - (1) शुल्क, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या देय किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि, व्यक्ति द्वारा **फॉर्म ईसीएल -5** में सामान्य पोर्टल पर वापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति पर, शेष राशि से आवेदन की गई लागत अब व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसकी वापसी का निर्णय सामान्य पोर्टल पर आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, और वापस की जाने वाली राशि उसके बाद सीमाशुल्क स्वतः प्रणाली के साथ पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

6. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में विसंगति के मामलों में शिकायत - एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी विसंगति को देखते हुए, सामान्य पोर्टल पर इसकी सूचना देगा।

फॉर्म ईसीएल-1*[विनियम 3(1) देखें]***इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर***(सामान्य पोर्टल पर बनाए रखें)*

इकाई का प्रकार

इकाई कोड // अस्थायी आईडी

नाम (कानूनी) -

अवधि - ----- से ----- तक (दिन /माह/ वर्ष)

अधिनियम - सीमाशुल्क भुगतान

(राशि रुपये में)

अनु क्रमांक	जमा करने/ डेबिट की तारीख (दिन /माह / वर्ष)	जमा करने का समय	रिपोर्टिंग तिथि (बैंक द्वारा)	संदर्भ सं	प्रकार/दस्तावेज संख्या/तिथि, यदि लागू हो	विवरण	लेन – देन के प्रकार [डेबिट (डीआर) / क्रेडिट (सीआर)]	डेबिट/क्रेडिट की गई राशि (कुल)	शेष (कुल)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टिप्पणी -

- संदर्भ संख्या में बीआरएन (बैंक संदर्भ संख्या), डेबिट प्रविष्टि संख्या, आदेश संख्या, यदि कोई हो, और दस्तावेज की पावती संख्या शामिल है।
- प्रकार/दस्तावेज संख्या/तिथि, यदि लागू हो, किसी भी डेबिट के लिए दर्ज की जाएगी, अन्यथा इसे खाली छोड़ दिया जाएगा।
- ऐसे चालान की चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जिसके लिए राशि जमा की गई हो, और देयता का प्रकार जिसके लिए कोई डेबिट किया गया है, उसे भी "विवरण" शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा।
- आवेदन संख्या, यदि कोई हो, कारण बताओ नोटिस संख्या, मांग आईडी, अपील के लिए पूर्व जमा या अन्य कोई देयता जिसके लिए भुगतान किया जा रहा है, को भी "विवरण" शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा।
- बहीखाता से धनवापसी का दावा किया गया या बहीखाता से अन्य किसी डेबिट को तदनुसार दर्ज किया जाएगा।
- जमा करने की तिथि और समय, बैंक द्वारा सूचित सीआईएन जनरेट करने की तारीख और समय है।
- इकाई कोड इस प्रकार होगा: -

क. आयातकों/निर्यातकों के लिए विदेश व्यापार, महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी आयात निर्यात कोड (आईईसी),

ख. सीमाशुल्क दलालों, अधिकृत वाहकों और संरक्षकों के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन),

ग. अन्य किसी के लिए, माल और सेवा कर विभाग द्वारा जारी वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) यदि उपलब्ध हो या सामान्य पोर्टल के माध्यम से जनरेट अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर।

फॉर्म ईसीएल-2

[विनियम 3(5) देखें]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 51क के तहत जमा करने के लिए चालान

आइसगेट यूनिक आईडी	<<जानकारी जमा करने के बाद स्वतः जनरेट>>	दिनांक <<वर्तमान तिथि>>	चालान की समाप्ति तिथि -
-------------------------	---	-------------------------	-------------------------

इकाई प्रकार / कोड	<<भरा हुआ/स्वतः आबाद>>	ईमेल पता	<<स्वतः आबाद>>
नाम (कानूनी)	<<स्वतः आबाद>>	मोबाइल संख्या	<<स्वतः आबाद>>
पता	<<स्वतः आबाद>>		

बहीखाता में जमा का विवरण (सभी राशि रुपये में)		
प्रमुख शीर्षक	लघु शीर्षक	कुल
8449—इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा		
	कुल चालान राशि	
शब्दों में कुल राशि		

भाग II

	भुगतान का प्रकार (विशेष मोड चुने जाने पर प्रासंगिक भाग सक्रिय हो जाएगा)
--	---

• ई- भुगतान (इसमें नेट बैंकिंग जैसे ई-भुगतान के सभी प्रकार शामिल होंगे, किंतु इसमें सीसी/डीसी शामिल नहीं होगा। करदाता इनमें से किसी एक को चुनेंगे)
--

• ओवर द काउंटर (OTC)		
बैंक (जहां नकद या लिखत जमा करने का प्रस्ताव है)		
साधन का विवरण		
• नकद	• चेक	• डिमांड ड्राफ्ट

• एनईएफटी /आरटीजीएस	
भेजने वाला बैंक	
लाभार्थी का नाम	प्रकार/इकाई कोड
लाभार्थी खाता संख्या (सीपीआईएन)	<सीपीआईएन>
लाभार्थी बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
लाभार्थी बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC)	आरबीआई का आईएफएससी
राशि	

जमाकर्ता का विवरण		
नाम		
पद/स्थिति (प्रबंधक, भागीदार इत्यादि)		
हस्ताक्षर		
तारीख		
किए गए भुगतान के चालान की जानकारी		
प्रकार/इकाई कोड		
करदाता का नाम		
बैंक का नाम		
राशि		
बैंक संदर्भ संख्या (बीआरएन)/यूटीआर		
सीआईएन		
भुगतान की तिथि		
बैंक पावती संख्या (बैंक के काउंटर पर जमा चेक/डीडी के लिए)		

1. यूटीआर का आशय एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान के लिए विशिष्ट लेनदेन संख्या है।
2. ऑनलाइन भुगतान के लिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

[विनियम 4(1) देखें]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत किसी भी राशि के भुगतान के लिए चालान

आइसगेट यूनिक आईडी	<<जानकारी जमा करने के बाद स्वतः जनरेट>>	दिनांक <<वर्तमान तिथि>>	चालान समाप्ति की तिथि -
-------------------------	--	-------------------------	-------------------------

इकाई प्रकार / कोड	<<भरा हुआ/स्वतः आबाद>>	ईमेल पता	<<स्वतः आबाद>>
नाम (कानूनी)	<<स्वतः आबाद>>	मोबाइल नंबर	<<स्वतः आबाद>>
पता	<<स्वतः आबाद>>		

		शुल्क के भुगतान का विवरण (सभी राशि रुपये में)						
मुख्य शीर्ष	डीबी/सीआर	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष					
			कर	ब्याज	दंड	शुल्क	अन्य	संपूर्ण
सीमाशुल्क								

		उप कुल						
एकीकृत कर (----)		एकीकृत कर (----)						
उपकर (----)		उपकर (----)						
सार्वजनिक खाते								
	कुल चालान राशि							
	शब्दों में कुल राशि							

फॉर्म ईसीएल 4

[विनियम 4(3) देखें।]

इलेक्ट्रॉनिक शुल्क भुगतान बहीखाता (नकद)
(सामान्य पोर्टल पर बनाए रखा जाना)

इकाई का प्रकार

इकाई कोड // अस्थायी आईडी

नाम (कानूनी) -

अवधि - ----- से ----- तक (दिन /माह/ वर्ष)

अधिनियम - सीमाशुल्क भुगतान

भाग I

(राशि रुपये में)

अनु क्रमांक ।	भुगतान चालान संख्या	प्रकार/दस्तावेज़ संख्या/तिथि, यदि लागू हो	चालान जारी करने/भुगतान करने की तिथि और समय	ईसीएल की संदर्भ संख्या	रिपोर्टिंग तिथि (आईसीईजीएटी ई द्वारा)	विवरण	लेन-देन का प्रकार [डेबिट (डीआर) / क्रेडिट (सीआर)]	डेबिट/क्रेडिट की गई राशि (कुल)	शेष (कुल)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भाग द्वितीय

भुगतान चालान संख्या	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि
	कुल		

टिप्पणी -

8. संदर्भ संख्या में बीआरएन (बैंक संदर्भ संख्या), डेबिट प्रविष्टि संख्या, आदेश संख्या, यदि कोई हो, और दस्तावेज़ की पावती संख्या शामिल है।

9. प्रकार/दस्तावेज संख्या/तिथि, यदि लागू हो, किसी भी डेबिट के लिए दर्ज की जाएगी, अन्यथा इसे खाली छोड़ दिया जाएगा।
10. आवेदन संख्या, यदि कोई हो, कारण बताओ नोटिस संख्या, मांग आईडी, अपील के लिए पूर्व जमा या कोई अन्य देयता जिसके लिए भुगतान किया जा रहा है, को भी "विवरण" शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा।
11. बहीखाता से दावा किया गया धनवापसी या बहीखाता से किसी अन्य डेबिट को तदनुसार दर्ज किया जाएगा।
12. जमा करने की तिथि और समय बैंक द्वारा सूचित सीआईएन जनरेट करने की तिथि और समय है।

फॉर्म-ईसीएल-5

[विनियम 5 देखें]

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के तहत जमा की वापसी के लिए आवेदन

1.	इकाई प्रकार / कोड	
2.	कानूनी नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4.	पता	
5.	दावा की गई धनवापसी की राशि (रु .)	
6.	वापसी के दावे के आधार (ड्रॉप डाउन में से चुनें)	(क) वित्तीय वर्ष का अंत
		(ख) व्यवसाय बंद
		(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही है और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस राशि का किसी अन्य माध्यम से उपयोग नहीं किया है। यदि यह राशि अन्यथा पाई जाती है तो मैं यह राशि वापस करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम / स्थिति

[फा .सं. 442/02/2017- सीमाशुल्क IV(पार्ट)]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2022

No. 20/2022-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 232 (E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-sections (1), (2) and (3) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These regulations may be called the Customs (Electronic Cash Ledger) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the 1st June, 2022.

2. **Definitions.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (b) “authorised bank” means a bank or a branch of a bank authorised by the Government to collect duty or any other amount payable under the Act ;
- (c) “electronic cash ledger” means the ledger in the customs automated system relating to a person who deposits the amount in the said ledger in accordance with section 51A of the Act;
- (d) “Form” means a form appended to these regulations;
- (e) “Jurisdictional Commissioner of Customs” means the Commissioner having jurisdiction over the customs station where the person intends to make payment.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Manner of maintaining Electronic Cash Ledger.**- (1) The electronic cash ledger shall be maintained in **FORM ECL-1** on the common portal for each person in regard to every deposit made towards duty, interest, penalty, fee or any other sum payable by the person under the provisions of the Act or under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), or the rules and regulations made thereunder or any duties of customs, including cesses and surcharges levied as duties of customs under any other law for the time being in force, for the purpose of crediting the deposit and for debiting when the amount available in the electronic cash ledger is used for making payment towards duty, interest, penalty, fee or any other amount.

(2) The deposit made in the electronic cash ledger shall not accrue any interest.

(3) A unique identification number shall be generated at the common portal when a credit or debit, as the case may be, is made to the electronic cash ledger.

(4) The unique identification number relating to such debit or credit shall be indicated in the relevant Customs declaration.

(5) Any deposit into the electronic cash ledger shall be made by a person by generating a deposit challan in **FORM-ECL-2** on the common portal:

Provided that the deposit challan as so generated in **FORM-ECL-2** shall be valid for a period of fifteen days.

(6) The deposit under sub-regulation (5) shall be made through any of the following authorised modes, namely:-

- (a) internet banking through an authorised bank;
- (b) National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement from any bank;
- (c) over the counter payment through an authorised bank:

Provided that the limit of the over the counter payment, in case of a person, shall not exceed ten thousand rupees in a day:

Provided further that the said limit of ten thousand rupees shall not apply to deposit made by the Government Department or where the Jurisdictional Commissioner of Customs authorises a higher amount to be deposited.

Explanation. — For the removal of doubts it is hereby clarified that for making deposit of any amount indicated in the deposit challan, the commission, if any, payable to the bank in respect of such payment shall be borne by the person making such deposit.

(7) Where the deposit is made through an authorised mode other than the internet banking through an authorised bank, a mandate form shall be generated along with the deposit challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the deposit is being made:

Provided that the mandate form shall be valid for a period of fifteen days from the date of generation of the deposit challan.

(8) Upon use of an authorised mode to make deposit, on successful credit of the amount to the concerned government account maintained in the authorised bank, a Challan Identification Number shall be generated by the collecting bank and the same shall be indicated in the deposit challan as generated in **FORM ECL-2**.

(9) On receipt of the Challan Identification Number from the collecting bank, the said amount shall be credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made and the common portal shall make available a receipt to this effect.

(10) Where the bank account of the person concerned or the person making the deposit on his behalf, is debited but no Challan Identification Number is generated or such number is generated but not communicated to the common portal, the said person may represent electronically through the common portal to the bank or electronic gateway through which the deposit was initiated.

4. **Manner of making payment from the electronic cash ledger .-** (1) A person may use the amount available in the electronic cash ledger for making payment towards duty, interest, penalty, fee, or any other sum payable by such person under the provisions of the Act or under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), or the rules and regulations made thereunder, or any duties of customs, including cesses and surcharges levied as duties of customs under any other law for the time being in force, through payment challan in **FORM ECL-3** generated,-

- (i) by the customs automated system in accordance with provisions of the Act, rules or regulations made thereunder; or
- (ii) by the person on the basis of his own ascertainment of the amount of duty or sum payable by such person.

(2) The person shall select the payment challan so generated under sub-regulation (1) on the common portal for debit of the amount shown in the payment challan from electronic cash ledger of such person :

Provided that, the amount shown in the payment challan shall be automatically debited from the electronic cash ledger by the customs automated system, –

- (a) in the case where consent for auto-debit of specified amount has been provided in the customs declaration by the person; and
- (b) The amount available in the electronic cash ledger is sufficient for the payment of the entire amount of the payment challan.

(3) The successful debit under sub-regulation (2), shall be visible on electronic cash ledger and the credit shall be shown in the Electronic Duty Payment Ledger (Cash) maintained in **FORM ECL-4**.

5. **Refund.-** (1) The balance in the electronic cash ledger, after payment of duty, interest, penalty, fee or any other amount payable, may be applied for refund by the person on the common portal in **FORM ECL-5**.

(2) Upon receipt of application under sub-regulation (1), the amount applied for from the balance shall no longer be available for use by the person and its refund shall be decided within thirty days from the date of application on the common portal and the amount to be refunded shall thereafter be credited to the bank account of the person registered with customs automated system.

6. **Intimation of discrepancy in electronic cash ledger.-** A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic cash ledger, communicate the same on the common portal.

FORM ECL-1

[See regulation 3(1)]

Electronic Cash Ledger

(To be maintained at the Common Portal)

Type of the Entity

Entity code / /Temporary Id

Name (Legal) –

Period - From ----- To ----- (dd/mm/yyyy)

Act – Customs Duty Payments

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Date of deposit /Debit (dd/mm/ yyyy)	Time of deposit	Reporting date (by bank)	Reference No.	Type/Document No/Date, if applicable	Description	Type of Transaction [Debit (DR) / Credit (CR)]	Amount debited / credited (Total)	Balance (Total)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Note –

- Reference No. includes BRN (Bank Reference Number), debit entry no., order no., if any, and acknowledgment No. of the document.
- Type/Document No/Date, if applicable, for any debit will be recorded, otherwise it will be left blank.
- Challan Identification Number (CIN) of the challan against which deposit has been made, and type of liability for which any debit has been made will also recorded under the head “description”.
- Application no., if any, Show Cause Notice Number, Demand ID, pre-deposit for appeal or any other liability for which payment is being made will also be recorded under the head “description”.
- Refund claimed from the ledger or any other debits from the ledger will be recorded accordingly.
- Date and time of deposit is the date and time of generation of CIN as reported by bank.
- The entity code shall be as follows :-
 - the Import Export Code (IEC) issued by Directorate General of Foreign Trade (DGFT) for importers/exporters,
 - Permanent Account Number (PAN) issued by Income Tax Department for Customs brokers, authorised carriers and custodians,

- (c) For others, Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) issued by Goods and Services Tax Department if available or on the basis Temporary Identification Number generated through the common portal.

FORM ECL-2

[See regulation 3(5)]

Challan for deposit under section 51A of the Customs Act, 1962

ICEGATE Unique ID	<<Auto Generated after submission of information>>	Date <<Current date>>	Challan Expiry Date --
-------------------	--	-----------------------	------------------------

Entity Type/ Code	<<Filled in/Auto populated>>	Email address	<<Auto Populated>>
Name (Legal)	<<Auto Populated>>	Mobile No.	<<Auto Populated>>
Address	<<Auto Populated>>		

Details of Deposit in the Ledger (All Amount in Rs.)		
Major Head	Minor Head	Total
8449—Deposits in Electronic Cash Ledger		
	Total Challan Amount	
Total Amount in words		

PART – II

	Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected)
--	---

<input type="checkbox"/> e-Payment (This will include all modes of e-payment such as net banking but will not include CC/DC . Taxpayer will choose one of this)	<input type="checkbox"/> Over the Counter (OTC)		
	Bank (Where cash or instrument is proposed to be deposited)		
	Details of Instrument <input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Demand Draft		
<input type="checkbox"/> NEFT/RTGS			
Remitting bank			
Beneficiary name		Type/Entity code	
Beneficiary Account Number (CPIN)		<CPIN>	
Name of beneficiary bank		Reserve Bank of India	
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)		IFSC of RBI	
Amount			

Note: Charges to be separately paid by the person making payment.

Particulars of depositor	
Name	
Designation/ Status (Manager, partner etc.)	
Signature	
Date	
Paid Challan Information	
Type/Entity Code	
Taxpayer Name	
Name of Bank	

Amount	
Bank Reference No. (BRN)/UTR	
CIN	
Payment Date	
Bank Ack. No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	

1. UTR stands for Unique Transaction Number for NEFT / RTGS payment.
2. No signature is required for online payments.

FORM ECL-3

[See regulation 4(1)]

Challan for Payment of any sum under the Customs Act, 1962

ICEGATE Unique ID	<<Auto Generated after submission of information>>	Date <<Current date>>	Challan Expiry Date --
-------------------	--	-----------------------	------------------------

Entity Type/ Code	<<Filled in/Auto populated>>	Email address	<<Auto Populated>>
Name (Legal)	<<Auto Populated>>	Mobile No.	<<Auto Populated>>
Address	<<Auto Populated>>		

Details of Payment of Duty (All Amount in Rs.)								
Major Head	DB/CR	Minor Head	Minor Head					
			Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Customs Duty								
		Sub-Total						
Integrated Tax (----		Integrated Tax (----						
CESS (----		CESS (----						
Public Accounts								
	Total Challan Amount							
	Total Amount in words							

Form ECL 4*[See regulation 4(3)]***Electronic Duty Payment Ledger (Cash)***(To be maintained at the Common Portal)*

Type of the Entity

Entity code / /Temporary Id

Name (Legal) –

Period - From ----- To ----- (dd/mm/yyyy)

Act – Customs Duty Payments

Part I

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Payment Challan No.	Type/Document No/Date, if applicable	Date & Time of payment challan generation / Payment	Reference Number of ECL	Reporting date (by ICEGATE)	Description	Type of Transaction [Debit (DR) / Credit (CR)]	Amount debited / credited (Total)	Balance (Total)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Part II

Payment Challan No.	Major Head	Minor Head	Amount
	Total		

Note –

1. Reference No. includes BRN (Bank Reference Number), debit entry no., order no., if any, and acknowledgment No. of the document.
2. Type/Document No/Date, if applicable, for any debit will be recorded, otherwise it will be left blank.
3. Application no., if any, Show Cause Notice Number, Demand ID, pre-deposit for appeal or any other liability for which payment is being made will also be recorded under the head “description”.
4. Refund claimed from the ledger or any other debits from the ledger will be recorded accordingly.
5. Date and time of deposit is the date and time of generation of CIN as reported by bank.

FORM-ECL-5

[See regulation 5]

Application for Refund of Deposit under Electronic Cash Ledger

1.	Entity Type/ Code		
2.	Legal Name		
3.	Trade Name, if any		
4.	Address		
5.	Amount of Refund Claimed(Rs.)		
6.	Grounds of Refund Claim (select from drop down)	(a)	End of the Financial Year
		(b)	Close of the Business
		(c)	Others, Pls Specify :

DECLARATION

I hereby declare that the all information provided above are correct and I also declare that I have not utilized this amount by any other means. I undertake to return this amount in case it is found otherwise.

Signature

Name

Designation / Status

[F. No.442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.